Research Ambition
An International Multidisciplinary e-Journal
(Peer-reviewed and indexed)
Journal home page: www.researchambition.com
ISSN: 2456-0146, Vol. 11, Issue-I, May 2026

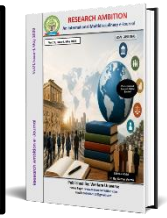

वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया और युवा रोजगार के अवसर– एक सामाजिक विधिक अध्ययन (Social Media and Youth Employment Opportunities in the Contemporary Scenario: A Socio-Legal Study)

Kanchan Suryavanshi,[a*] **Dr. Prachi Chaturvedi,**[b**]

[a] *Ph.D. Scholar, Mansarovar Global University, Sehore, Madhya Pradesh, India.*
[b] *Professor, Mansarovar Global University, Sehore, Madhya Pradesh, India.*

KEYWORDS

सोशल मीडिया, युवा रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वरोजगार, फ्रीलांसिंग, डिजिटल इंडिया, सामाजिक–विधिक अध्ययन, रोजगार अवसर, युवा सशक्तिकरण, साइबर सुरक्षा, डिजिटल उद्यमिता, ग्रामीण विकास।

ABSTRACT

वर्तमान डिजिटल युग में सोशल मीडिया युवाओं के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है तथा यह केवल संचार का माध्यम न रहकर रोजगार, शिक्षा, उद्यमिता और कौशल विकास का महत्वपूर्ण साधन बन गया है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य सोशल मीडिया और युवा रोजगार के अवसरों के मध्य संबंध का सामाजिक एवं विधिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। पूर्व अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग से रोजगार प्राप्ति की संभावनाओं में वृद्धि होती है, किन्तु संसाधन–सीमित देशों में इस संबंध में पर्याप्त शोध उपलब्ध नहीं है। यह अध्ययन इसी साक्ष्य–अंतराल को भरने का प्रयास करता है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सऐप तथा अन्य डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों ने युवाओं को ऑनलाइन शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग और कंटेंट क्रिएशन जैसे नए रोजगार अवसर प्रदान किए हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान तथा कॉमन सर्विस सेंटर जैसी सरकारी पहलों ने इंटरनेट पहुँच और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर युवाओं को आधुनिक रोजगार अवसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक दृष्टि से सोशल मीडिया ने युवाओं के सामाजिक पूंजी निर्माण, नेटवर्किंग तथा सूचना तक पहुँच को सशक्त बनाया है, जबकि विधिक दृष्टि से यह डिजिटल अधिकारों, साइबर सुरक्षा, गोपनीयता संरक्षण तथा ऑनलाइन कार्य वातावरण से संबंधित चुनौतियों को भी उजागर करता है। अध्ययन के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि सोशल मीडिया ने रोजगार के नए आयाम विकसित किए हैं और युवाओं को वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है। उचित मार्गदर्शन, डिजिटल साक्षरता तथा प्रभावी विधिक नियमन के माध्यम से सोशल मीडिया युवा सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशन और आर्थिक विकास का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध हो सकता है।

1. परिचय

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि

वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा डिजिटलीकरण के युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रसार ने पारंपरिक सामाजिक संबंधों, आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। पिछले एक दशक में भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म जनसंचार,

>Corresponding author
***E-mail:** kanchan.editor@gmail.com (Kanchan Suryavanshi).
https://orcid.org/0009-0001-7100-926X
DOI: https://doi.org/10.53724/ambition/v11n1.03
Received 8th March 2026; Accepted 15th April 2026
Available online 30th May 2026
2456-0146 /© 2026 The Journal. Publisher: Welfare Universe. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

व्यापार, शिक्षा तथा रोजगार का महत्वपूर्ण माध्यम बन गए हैं।

भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह विशाल युवा जनसंख्या देश के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रतिनिधित्व करती है। किन्तु बेरोजगारी, कौशल–असंगति (Skill Mismatch) तथा रोजगार अवसरों की सीमित उपलब्धता युवा वर्ग के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं। पारंपरिक रोजगार के अवसरों में कमी तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार ने युवाओं को नए विकल्पों की खोज करने के लिए प्रेरित किया है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म युवाओं को रोजगार खोजने, नेटवर्किंग करने, कौशल विकसित करने तथा स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के अवसर प्रदान करते हैं। लिंक्डइन जैसे पेशेवर प्लेटफ़ॉर्म रोजगार प्राप्ति में सहायता करते हैं, जबकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएशन तथा डिजिटल उद्यमिता के माध्यम बन गए हैं। इसी प्रकार व्हाट्सऐप बिज़नेस तथा फेसबुक मार्केटप्लेस छोटे व्यवसायों को नए ग्राहकों तक पहुँचने में सहायता प्रदान करते हैं।

1.2 समस्या का प्रतिपादन

यद्यपि सोशल मीडिया रोजगार सृजन के एक प्रभावी माध्यम के रूप में उभर रहा है, तथापि इसके सामाजिक एवं विधिक प्रभावों का समग्र अध्ययन अभी भी सीमित है। अधिकांश शोध तकनीकी या विपणन संबंधी पहलुओं पर केंद्रित रहे हैं, जबकि युवा रोजगार के सामाजिक और कानूनी आयामों पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया है। भारत जैसे विकासशील देश में डिजिटल विभाजन, इंटरनेट पहुँच की असमानता, साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता और प्लेटफ़ॉर्म आधारित रोजगार की अस्थिरता जैसी समस्याएँ गंभीर चिंता का विषय हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि सोशल मीडिया और युवा रोजगार के संबंध का सामाजिक–विधिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाए।

1.3 शोध प्रश्न

(1) सोशल मीडिया युवा रोजगार अवसरों को किस प्रकार प्रभावित करता है?

(2) सोशल मीडिया के माध्यम से उत्पन्न रोजगार अवसरों के सामाजिक प्रभाव क्या हैं?

(3) डिजिटल रोजगार से संबंधित प्रमुख विधिक चुनौतियाँ कौन–सी हैं?

(4) सरकारी नीतियाँ सोशल मीडिया आधारित रोजगार को किस प्रकार प्रोत्साहित कर रही हैं?

1.4 अध्ययन के उद्देश्य

(1) सोशल मीडिया और युवा रोजगार के मध्य संबंध का विश्लेषण करना।

(2) डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आधारित रोजगार अवसरों का अध्ययन करना।

(3) सामाजिक एवं विधिक प्रभावों का परीक्षण करना।

(4) डिजिटल रोजगार के संदर्भ में नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

2. साहित्य समीक्षा

साहित्य समीक्षा किसी भी शोध का महत्वपूर्ण आधार होती है। यह शोधकर्ता को पूर्व अध्ययनों की समझ प्रदान करती है तथा शोध–अंतराल (Research Gap) की पहचान करने में सहायता करती है।

2.1 सोशल मीडिया और रोजगार पर वैश्विक दृष्टिकोण

- कपलान और हेन्लिन (2010) ने सोशल मीडिया को ऐसी इंटरनेट आधारित तकनीकों के रूप में परिभाषित किया जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री निर्माण और साझा करने की सुविधा प्रदान करती हैं। उनके अनुसार सोशल मीडिया ने संचार और व्यावसायिक गतिविधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं।
- कैजमैन एवं अन्य (2011) ने सोशल मीडिया की सात

कार्यात्मक विशेषताओं पहचान, संवाद, साझाकरण, उपस्थिति, संबंध, प्रतिष्ठा और समूह का विश्लेषण किया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सोशल मीडिया व्यावसायिक नेटवर्किंग और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है।

- इलिसन, स्टैंनफील्ड और लैम्पे (2014) ने सोशल नेटवर्किंग साइटों और सामाजिक पूंजी के मध्य संबंध का अध्ययन किया। उनके अनुसार सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को व्यापक नेटवर्क विकसित करने और रोजगार संबंधी अवसर प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है।

2.2 रोजगार क्षमता और डिजिटल कौशल

आधुनिक श्रम बाजार में डिजिटल कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं। अनेक अध्ययनों ने यह सिद्ध किया है कि ऑनलाइन शिक्षा, ई–लर्निंग तथा डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाते हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध शैक्षिक सामग्री युवाओं को नई तकनीकों, भाषाओं तथा व्यावसायिक कौशलों को सीखने में सहायता प्रदान करती है। यूट्यूब, लिंक्डइन लर्निंग तथा अन्य ऑनलाइन मंच कौशल विकास के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।

2.3 सोशल मीडिया और डिजिटल उद्यमिता

डिजिटल उद्यमिता आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण घटक बन चुकी है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा फेसबुक जैसे प्लेटफ़ॉर्म व्यक्तियों को कम निवेश में व्यवसाय प्रारंभ करने का अवसर प्रदान करते हैं। अनेक युवा सोशल मीडिया के माध्यम से ई–कॉमर्स, एफिलिएट मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन तथा डिजिटल मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं।

2.4 शोध–अंतराल

उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया और रोजगार के मध्य संबंध पर पर्याप्त शोध हुआ है, किन्तु भारतीय संदर्भ में विशेषकर ग्रामीण युवाओं, डिजिटल समावेशन तथा सामाजिक–विधिक प्रभावों पर सीमित अध्ययन उपलब्ध हैं। यही वर्तमान अध्ययन की आवश्यकता और औचित्य को सिद्ध करता है।

3. सैद्धांतिक ढाँचा

3.1 सामाजिक पूंजी सिद्धांत

सामाजिक पूंजी सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों के सामाजिक संबंध और नेटवर्क उनके लिए संसाधनों एवं अवसरों का स्रोत होते हैं। सोशल मीडिया इन नेटवर्कों का विस्तार करता है तथा युवाओं को रोजगार संबंधी सूचनाओं, मार्गदर्शन और अवसरों तक पहुँच प्रदान करता है।

3.2 मानव पूंजी सिद्धांत

मानव पूंजी सिद्धांत यह मानता है कि शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास व्यक्ति की उत्पादकता तथा आय क्षमता को बढ़ाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त डिजिटल कौशल युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करते हैं।

3.3 नेटवर्क समाज सिद्धांत

मैनुअल कास्टेल्स द्वारा प्रतिपादित नेटवर्क समाज सिद्धांत के अनुसार आधुनिक समाज नेटवर्क आधारित संरचनाओं पर आधारित है। डिजिटल नेटवर्क आर्थिक गतिविधियों और रोजगार अवसरों के प्रमुख साधन बन गए हैं। सोशल मीडिया इस नेटवर्क समाज का केंद्रीय घटक है।

4. शोध पद्धति

4.1 शोध अभिकल्प

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक एवं सामाजिक–विधिक प्रकृति का है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया और युवा रोजगार अवसरों के मध्य संबंध का सामाजिक तथा विधिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है। यह शोध प्राथमिक आँकड़ों पर आधारित न

होकर मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों के अध्ययन पर आधारित है।

सामाजिक–विधिक अनुसंधान पद्धति के माध्यम से सामाजिक वास्तविकताओं तथा विधिक प्रावधानों के मध्य अंतर्संबंधों का विश्लेषण किया गया है। यह पद्धति सामाजिक विज्ञान और विधि विज्ञान दोनों के दृष्टिकोणों को एकीकृत करती है।

4.2 अध्ययन की प्रकृति

यह अध्ययन गुणात्मक प्रकृति का है। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों, सरकारी नीतियों, डिजिटल रोजगार अवसरों तथा विधिक ढाँचों का तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया है।

4.3 आँकड़ों के स्रोत

अध्ययन के लिए निम्नलिखित द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है–

4.3.1 अकादमिक स्रोत

- स्कोपस इण्डेक्स जर्नल शोधपत्र
- वेब ऑफ साइंस इण्डेक्स जर्नल शोध–पत्र
- गूगल स्कॉलर पर उपलब्ध शोध आलेख
- पुस्तकों एवं संपादित ग्रंथों का अध्ययन

4.3.2 सरकारी स्रोत

- भारत सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- नीति आयोग
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम रिपोर्ट
- प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान दस्तावेज

4.3.3 अंतरराष्ट्रीय स्रोत

- इन्टरनेशनल लैवर आर्गेनाईजेशन (आई.एल.ओ.)
- वर्ल्ड बैंक रिर्पोट
- यूनेस्को रिर्पोट

4.4 अध्ययन पद्धति

अध्ययन में सामग्री विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया गया है। उपलब्ध साहित्य, सरकारी रिपोर्टों तथा विधिक दस्तावेजों का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाले गए हैं।

4.5 अध्ययन की सीमाएँ

- अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है।
- सोशल मीडिया का स्वरूप अत्यंत गतिशील है, अतः समय के साथ निष्कर्षों में परिवर्तन संभव है।
- अध्ययन भारतीय संदर्भ पर केंद्रित है।
- विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों के प्रभावों में क्षेत्रीय एवं सामाजिक विविधताएँ हो सकती हैं।

5. सोशल मीडिया आधारित उभरते रोजगार अवसर

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास ने रोजगार के पारंपरिक स्वरूपों को परिवर्तित कर दिया है। सोशल मीडिया आज केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि रोजगार और उद्यमिता का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका है।

5.1 ऑनलाइन रोजगार खोज मंच

सोशल मीडिया ने रोजगार खोजने की प्रक्रिया को सरल, तेज और अधिक सुलभ बना दिया है।

लिंक्डइन

लिंक्डइन विश्व का सबसे बड़ा पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफ़ॉर्म है। इसके माध्यम से युवा–

- रोजगार अवसर खोज सकते हैं।
- पेशेवर नेटवर्क विकसित कर सकते हैं।
- उद्योग विशेषज्ञों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
- ऑनलाइन प्रमाणपत्र एवं प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

फेसबुक एवं व्हाट्सऐप समूह

कई रोजगार संबंधी समूह और समुदाय नौकरी की सूचनाओं का आदान–प्रदान करते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में व्हाट्सऐप रोजगार सूचना प्रसार का प्रभावी माध्यम बन चुका है।

डिजिटल भर्ती

वर्तमान में अनेक कंपनियाँ सोशल मीडिया प्रोफाइल का विश्लेषण करके उम्मीदवारों की योग्यता और व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती हैं। इससे भर्ती प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है।

5.2 फ्रीलांसिंग अर्थव्यवस्था

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म आधारित फ्रीलांसिंग युवाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरी है।

प्रमुख फ्रीलांसिंग क्षेत्र

- कंटेंट राइटिंग
- ग्राफिक डिज़ाइनिंग
- वेब डेवलपमेंट
- वीडियो एडिटिंग
- डिजिटल मार्केटिंग
- डेटा एंट्री
- ऑनलाइन शिक्षण
- फ्रीलांसिंग के लाभ
- कार्य में लचीलापन
- वैश्विक ग्राहकों तक पहुँच
- कम प्रारंभिक निवेश
- आय के विविध स्रोत

चुनौतियाँ

- आय की अनिश्चितता
- सामाजिक सुरक्षा का अभाव
- भुगतान संबंधी विवाद
- अत्यधिक प्रतिस्पर्धा

5.3 कंटेंट क्रिएटर अर्थव्यवस्था

सोशल मीडिया ने एक नई अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है जिसे ''क्रिएटर इकोनॉमी'' कहा जाता है।

यूट्यूब

यूट्यूब पर युवा निम्न माध्यमों से आय अर्जित कर रहे हैं–

- विज्ञापन राजस्व
- ब्रांड सहयोग
- प्रायोजित सामग्री
- सदस्यता कार्यक्रम

इंस्टाग्राम

इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का प्रमुख मंच बन चुका है।

प्रमुख क्षेत्र–

- फैशन
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- तकनीक
- यात्रा
- कृषि

फेसबुक और अन्य प्लेटफ़ॉर्म

फेसबुक, स्नैपचौट तथा अन्य प्लेटफ़ॉर्म भी सामग्री निर्माण को आय में परिवर्तित करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

5.4 ई–कॉमर्स एवं सोशल कॉमर्स

सोशल मीडिया आधारित व्यापार आज तेजी से विकसित हो रहा है।

5.4.1 व्हाट्सऐप बिज़नेस– छोटे उद्यमी उत्पादों का प्रचार और बिक्री सीधे ग्राहकों तक कर सकते हैं।

5.4.2 इंस्टाग्राम शॉप्स– यह सुविधा छोटे व्यवसायों को बिना अलग वेबसाइट के अपने उत्पाद बेचने का अवसर देती है।

5.4.3 फेसबुक मार्केटप्लेस– स्थानीय स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद–बिक्री को बढ़ावा देता है।

5.4.4 ग्रामीण उद्यमिता– ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और कृषि उत्पाद सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच रहे हैं।

5.5 डिजिटल मार्केटिंग रोजगार

डिजिटल मार्केटिंग वर्तमान समय में सबसे तेजी से बढ़ते रोजगार क्षेत्रों में से एक है।

5.5.1 प्रमुख रोजगार अवसर

- एसईओ विशेषज्ञ
- सोशल मीडिया मैनेजर
- कंटेंट मार्केटर
- एफिलिएट मार्केटर
- डिजिटल विज्ञापन विशेषज्ञ

डिजिटल मार्केटिंग व्यवसायों को कम लागत में व्यापक ग्राहक आधार तक पहुँचने में सहायता करती है। परिणामस्वरूप प्रशिक्षित युवाओं की मांग निरंतर बढ़ रही है।

6. युवा रोजगार पर सोशल मीडिया का सामाजिक प्रभाव

सोशल मीडिया रोजगार अवसरों के विस्तार के साथ–साथ व्यापक सामाजिक परिवर्तन भी उत्पन्न कर रहा है।

6.1 सकारात्मक सामाजिक प्रभाव

(क) रोजगार अवसरों तक सरल पहुँच– सोशल मीडिया रोजगार सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है। इससे भौगोलिक सीमाओं का प्रभाव कम हुआ है।

(ख) सामाजिक पूंजी का निर्माण– युवा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, उद्यमियों और नियोक्ताओं से जुड़ सकते हैं। यह नेटवर्किंग रोजगार अवसरों को बढ़ाती है।

(ग) कौशल विकास– यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार युवाओं को नए कौशल सीखने में सहायता प्रदान करते हैं।

(घ) स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता– सोशल मीडिया ने अनेक युवाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया है।

(ङ) महिला सशक्तिकरण– महिलाएँ घर से ही ऑनलाइन व्यवसाय संचालित कर आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर रही हैं।

6.2 नकारात्मक सामाजिक प्रभाव

(क) डिजिटल विभाजन– सभी युवाओं को समान इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण एवं वंचित वर्ग अभी भी पीछे हैं।

(ख) रोजगार की अस्थिरता– डिजिटल रोजगार अक्सर अस्थायी और परियोजना–आधारित होते हैं।

(ग) मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ– लगातार ऑनलाइन प्रतिस्पर्धा तनाव, चिंता और अवसाद को बढ़ा सकती है।

(घ) साइबर अपराध– फर्जी नौकरी विज्ञापन, ऑनलाइन धोखाधड़ी और पहचान चोरी जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं।

(ङ) सामाजिक तुलना और दबाव– युवा सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर अवास्तविक अपेक्षाएँ विकसित कर सकते हैं।

7. सरकारी पहल एवं डिजिटल रोजगार

भारत सरकार ने डिजिटल समावेशन और रोजगार सृजन हेतु अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं।

7.1 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

2015 में प्रारंभ किया गया यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का प्रयास है।

प्रमुख उद्देश्य

- डिजिटल अवसंरचना का विकास
- इंटरनेट पहुँच का विस्तार
- डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता
- डिजिटल साक्षरता का प्रसार

- रोजगार पर प्रभाव
- आईटी क्षेत्र में रोजगार वृद्धि
- डिजिटल उद्यमिता को प्रोत्साहन
- ई–गवर्नेंस आधारित रोजगार

7.2 प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

यह कार्यक्रम ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने हेतु प्रारंभ किया गया।

प्रमुख उपलब्धियाँ

- लाखों ग्रामीण नागरिकों को प्रशिक्षण
- इंटरनेट उपयोग में वृद्धि
- ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँच
- रोजगार संबंधी योगदान
- डिजिटल कौशल विकास
- ऑनलाइन कार्य अवसरों तक पहुँच
- ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा

7.3 स्किल इंडिया मिशन

स्किल इंडिया का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना है।

- डिजिटल कौशल प्रशिक्षण
- डिजिटल मार्केटिंग
- डेटा एनालिटिक्स
- वेब डेवलपमेंट
- साइबर सुरक्षा
- रोजगार क्षमता में योगदान

यह कार्यक्रम युवाओं की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाता है।

7.4 कॉमन सर्विस सेंटर

सी.एस.सी. ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है।

प्रमुख सेवाएँ

- ई–गवर्नेंस सेवाएँ
- ऑनलाइन आवेदन
- बैंकिंग सेवाएँ
- डिजिटल भुगतान

रोजगार सृजन

सी.एस.सी. संचालक स्वयं उद्यमी बनते हैं तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन करते हैं।

7.5 स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल उद्यमिता

स्टार्टअप इंडिया पहल युवाओं को नवाचार आधारित व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

सोशल मीडिया की भूमिका

- उत्पाद प्रचार
- ग्राहक संपर्क
- ब्रांड निर्माण
- बाजार विस्तार

डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म स्टार्टअप्स की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

8. सामाजिक–विधिक विश्लेषण

सोशल मीडिया आधारित रोजगार अवसरों के विस्तार ने एक नई डिजिटल अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। यद्यपि इसने रोजगार, उद्यमिता और आर्थिक विकास के नए आयाम खोले हैं, तथापि इसके साथ अनेक विधिक और सामाजिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। इस संदर्भ में भारतीय विधिक व्यवस्था की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है।

8.1 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

भारत में डिजिटल गतिविधियों के नियमन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 प्रमुख कानून है। यह अधिनियम ई–कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों, डिजिटल हस्ताक्षरों तथा साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था।

सोशल मीडिया रोजगार के संदर्भ में महत्व

- ऑनलाइन व्यापारिक गतिविधियों को कानूनी मान्यता प्रदान करता है।
- डिजिटल अनुबंधों को वैधता देता है।
- ऑनलाइन भुगतान एवं ई–कॉमर्स को सुरक्षा प्रदान करता है।
- साइबर अपराधों के विरुद्ध कानूनी संरक्षण उपलब्ध कराता है।

प्रमुख प्रावधान

- धारा 43– अनधिकृत प्रवेश, डेटा चोरी और कंप्यूटर प्रणाली को नुकसान पहुँचाने पर दंड का प्रावधान।
- धारा 66– कंप्यूटर संसाधनों के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी को दंडनीय अपराध घोषित करती है।
- धारा 67– ऑनलाइन आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाती है।

सीमाएँ

यद्यपि यह अधिनियम डिजिटल गतिविधियों के लिए आधारभूत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, किन्तु सोशल मीडिया आधारित रोजगार और गिग अर्थव्यवस्था से जुड़ी नई चुनौतियों के समाधान हेतु इसमें व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

8.2 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023

डिजिटल युग में डेटा को नया संसाधन माना जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं के विशाल मात्रा में व्यक्तिगत डेटा का संग्रह और विश्लेषण करते हैं।

अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य

व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

डेटा प्रोसेसिंग के लिए सहमति आधारित प्रणाली विकसित करना।

उपयोगकर्ताओं के गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करना।

डेटा उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित करना।

युवा रोजगार के संदर्भ में महत्व

सोशल मीडिया आधारित भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी व्यापक रूप से उपयोग की जाती है।

प्रमुख चिंताएँ

- डेटा संग्रह की पारदर्शिता
- एल्गोरिथमिक भेदभाव
- गोपनीयता का उल्लंघन
- प्रोफाइलिंग और निगरानी

सामाजिक प्रभाव– यदि डेटा संरक्षण के पर्याप्त उपाय न हों तो युवाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रोजगार संभावनाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

8.3 गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक

डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ गिग रोजगार तेजी से बढ़ रहा है।

गिग श्रमिक की अवधारणा– ऐसे श्रमिक जो स्थायी रोजगार के बजाय अल्पकालिक कार्यों या परियोजनाओं के आधार पर कार्य करते हैं।

सोशल मीडिया आधारित गिग कार्य

- कंटेंट क्रिएटर
- सोशल मीडिया मैनेजर
- डिजिटल मार्केटर
- ऑनलाइन प्रशिक्षक
- फ्रीलांसर

प्रमुख समस्याएँ

(क) सामाजिक सुरक्षा का अभाव

अधिकांश गिग श्रमिकों को निम्न सुविधाएँ प्राप्त नहीं होतीं–

- पेंशन

- स्वास्थ्य बीमा
- मातृत्व लाभ
- भविष्य निधि

(ख) आय की अनिश्चितता– गिग रोजगार स्थायी आय की गारंटी प्रदान नहीं करता।

(ग) एल्गोरिथमिक नियंत्रण– डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कार्य वितरण और भुगतान का निर्धारण एल्गोरिथ्म के माध्यम से करते हैं, जिससे पारदर्शिता की समस्या उत्पन्न होती है।

भारतीय विधिक स्थिति– सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने पहली बार गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को कानूनी मान्यता प्रदान की है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, किन्तु इसके प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

8.4 साइबर अपराध एवं रोजगार धोखाधड़ी

सोशल मीडिया आधारित रोजगार अवसरों के विस्तार के साथ साइबर अपराधों में भी वृद्धि हुई है।

प्रमुख साइबर धोखाधड़ियाँ

- फर्जी नौकरी विज्ञापन
- कई अपराधी नकली रोजगार अवसरों का विज्ञापन कर युवाओं से धन वसूलते हैं।
- पहचान चोरी
- उम्मीदवारों की व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग किया जाता है।

फिशिंग– ईमेल अथवा सोशल मीडिया संदेशों के माध्यम से संवेदनशील जानकारी प्राप्त की जाती है।

ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी– नौकरी दिलाने के नाम पर धन की मांग की जाती है।

कानूनी उपाय

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- भारतीय न्याय संहिता, 2023
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
- साइबर क्राइम पोर्टल

आवश्यकता

युवाओं में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना समय की प्रमुख आवश्यकता है।

9. निष्कर्षों की चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान डिजिटल परिदृश्य में सोशल मीडिया और युवा रोजगार अवसरों के मध्य संबंध का सामाजिक–विधिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना था। उपलब्ध साहित्य, सरकारी रिपोर्टों, नीतिगत दस्तावेजों तथा विभिन्न अध्ययनों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि सोशल मीडिया ने रोजगार के स्वरूप, अवसरों तथा कार्य संस्कृति में व्यापक परिवर्तन किए हैं। अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षों की चर्चा निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत की जा रही है–

9.1 सोशल मीडिया रोजगार का प्रभावी माध्यम है

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म रोजगार सृजन और रोजगार सूचना के प्रसार के महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं। पहले रोजगार प्राप्ति मुख्यतः समाचार पत्रों, रोजगार कार्यालयों तथा व्यक्तिगत संपर्कों पर निर्भर करती थी, किन्तु वर्तमान समय में सोशल मीडिया ने इस प्रक्रिया को अधिक सरल, त्वरित और व्यापक बना दिया है।

लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तथा व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफ़ॉर्म युवाओं को न केवल रोजगार संबंधी सूचनाएँ प्रदान करते हैं, बल्कि उन्हें संभावित नियोक्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों तथा पेशेवर नेटवर्क से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। विशेष रूप से लिंक्डइन जैसे प्लेटफ़ॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग, भर्ती प्रक्रिया और कौशल प्रदर्शन के लिए प्रभावी मंच के रूप में उभरे हैं।

इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया ने डिजिटल उद्यमिता, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन और ई–कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार अवसर उत्पन्न किए हैं। अनेक युवा यूट्यूब

चौनल, इंस्टाग्राम पेज, ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग तथा डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार सोशल मीडिया रोजगार के पारंपरिक मॉडल से आगे बढ़कर रोजगार सृजन का सक्रिय साधन बन गया है।

9.2 डिजिटल कौशल रोजगार क्षमता को बढ़ाते हैं

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि डिजिटल कौशल वर्तमान श्रम बाजार की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक बन चुके हैं। डिजिटल साक्षरता, डेटा प्रबंधन, सोशल मीडिया प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट तथा ऑनलाइन संचार कौशल रोजगार प्राप्ति और करियर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यूट्यूब, ऑनलाइन पाठ्यक्रमों, वेबिनार तथा सोशल मीडिया आधारित शिक्षण मंचों ने युवाओं को स्व–शिक्षा और कौशल विकास के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। डिजिटल कौशल रखने वाले युवा रोजगार बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी सिद्ध होते हैं तथा उन्हें पारंपरिक रोजगार के अतिरिक्त ऑनलाइन कार्य अवसर भी प्राप्त होते हैं।

यह निष्कर्ष मानव पूंजी सिद्धांत के अनुरूप है, जिसके अनुसार शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास व्यक्ति की उत्पादकता और आय क्षमता को बढ़ाते हैं। अध्ययन यह संकेत देता है कि भविष्य का रोजगार बाजार डिजिटल दक्षताओं पर अधिक निर्भर होगा, इसलिए डिजिटल कौशल विकास को शिक्षा और रोजगार नीति का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए।

9.3 ग्रामीण युवाओं के लिए नए अवसर

अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ने ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान तथा कॉमन सर्विस सेंटर जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुँच और डिजिटल जागरूकता में वृद्धि हुई है।

ग्रामीण युवा अब सोशल मीडिया का उपयोग करके कृषि उत्पादों, हस्तशिल्प वस्तुओं तथा स्थानीय उत्पादों का विपणन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे ऑनलाइन शिक्षा, फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया ने भौगोलिक सीमाओं को कम करते हुए ग्रामीण युवाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का कार्य किया है।

हालाँकि, ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की गुणवत्ता, डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता तथा तकनीकी प्रशिक्षण की कमी अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसके बावजूद यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया ग्रामीण रोजगार और उद्यमिता के लिए एक परिवर्तनकारी साधन के रूप में उभरा है।

9.4 डिजिटल असमानता एक चुनौती

यद्यपि सोशल मीडिया रोजगार अवसरों का विस्तार कर रहा है, फिर भी डिजिटल असमानता एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सभी युवाओं को समान डिजिटल संसाधन, इंटरनेट सुविधा और तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों, पुरुषों और महिलाओं, तथा आर्थिक रूप से संपन्न एवं वंचित वर्गों के मध्य डिजिटल पहुँच में स्पष्ट अंतर पाया जाता है। जिन युवाओं के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल कौशल उपलब्ध हैं, वे रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा पा रहे हैं, जबकि वंचित वर्ग के युवा इन अवसरों से अपेक्षाकृत दूर रह जाते हैं।

डिजिटल असमानता सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को और अधिक गहरा कर सकती है।

इसलिए समावेशी डिजिटल विकास सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, सस्ती इंटरनेट सेवाएँ तथा व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

9.5 साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण महत्वपूर्ण मुद्दे हैं

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि सोशल मीडिया आधारित रोजगार प्रणाली में साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे बन गए हैं। रोजगार की खोज, ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया नेटवर्किंग के दौरान युवाओं की बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर उपलब्ध रहती है।

फर्जी नौकरी विज्ञापन, ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान चोरी, फिशिंग तथा डेटा दुरुपयोग जैसी घटनाएँ युवाओं के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं। अनेक मामलों में रोजगार प्रदान करने के नाम पर आर्थिक धोखाधड़ी की जाती है, जिससे युवाओं को आर्थिक एवं मानसिक क्षति का सामना करना पड़ता है।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 डेटा सुरक्षा और साइबर अपराधों के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण कानूनी साधन हैं। तथापि इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन तथा नागरिकों में साइबर जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है।

9.6 विधिक नियमन की आवश्यकता

अध्ययन का अंतिम और महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि सोशल मीडिया आधारित रोजगार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रभावी संचालन हेतु एक सुदृढ़ और समकालीन विधिक ढाँचे की आवश्यकता है। वर्तमान में डिजिटल श्रम बाजार, गिग अर्थव्यवस्था तथा प्लेटफ़ॉर्म आधारित रोजगार तेजी से विस्तार कर रहे हैं, किन्तु इनके लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा और नियामक व्यवस्था अभी विकसित नहीं हो सकी है।

गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, कार्य परिस्थितियाँ तथा विवाद निवारण जैसे मुद्दे विधिक हस्तक्षेप की मांग करते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने गिग श्रमिकों को कानूनी मान्यता प्रदान कर एक सकारात्मक पहल की है, किन्तु इसके प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में अभी भी पर्याप्त प्रयास अपेक्षित हैं।

इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों की जवाबदेही, डेटा गोपनीयता, एल्गोरिथमिक पारदर्शिता तथा ऑनलाइन भर्ती प्रक्रियाओं के नियमन हेतु व्यापक नीति और कानूनी सुधार आवश्यक हैं। यदि डिजिटल अर्थव्यवस्था को दीर्घकालिक और समावेशी बनाना है, तो सामाजिक न्याय, श्रमिक अधिकारों और डिजिटल सुरक्षा को केंद्र में रखकर विधिक ढाँचे का विकास करना होगा।

समग्र चर्चा

समग्र रूप से अध्ययन यह दर्शाता है कि सोशल मीडिया युवा रोजगार के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का माध्यम बन चुका है। यह रोजगार सृजन, कौशल विकास, उद्यमिता और आर्थिक सहभागिता को बढ़ावा देता है। विशेष रूप से युवाओं और ग्रामीण समुदायों के लिए यह नए अवसरों का द्वार खोलता है। दूसरी ओर डिजिटल असमानता, साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता और रोजगार अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं।

अतः यह आवश्यक है कि डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और विधिक संरक्षण को मजबूत करते हुए सोशल मीडिया आधारित रोजगार प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और टिकाऊ बनाया जाए। तभी सोशल मीडिया वास्तव में युवा सशक्तिकरण और सतत आर्थिक विकास का प्रभावी साधन बन सकेगा।

10. नीतिगत आवश्यकतायें

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि सोशल मीडिया वर्तमान समय में युवा रोजगार, उद्यमिता और कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। यद्यपि इसके माध्यम से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं, फिर भी डिजिटल असमानता, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता, रोजगार अस्थिरता तथा श्रमिक अधिकारों जैसी अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इन चुनौतियों के समाधान तथा सोशल मीडिया आधारित रोजगार प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित नीतिगत सुझाव प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

10.1 डिजिटल साक्षरता का विस्तार

डिजिटल अर्थव्यवस्था में सफल भागीदारी के लिए डिजिटल साक्षरता एक मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अनेक युवा, विशेषकर ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित युवा, डिजिटल तकनीकों के प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक कौशलों से वंचित हैं। इसलिए सरकार को डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए तथा इनके अंतर्गत सोशल मीडिया प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन सुरक्षा, ई–कॉमर्स और डिजिटल उद्यमिता जैसे विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी डिजिटल कौशल आधारित शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ताकि युवा रोजगार बाजार की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सकें।

10.2 इंटरनेट अवसंरचना का विकास

डिजिटल अवसरों का लाभ तभी संभव है जब सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट सेवाएँ उपलब्ध हों। अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इंटरनेट की सीमित उपलब्धता तथा कम गति वाली सेवाएँ डिजिटल सहभागिता में बाधा उत्पन्न करती हैं।

सरकार को भारतनेट जैसी परियोजनाओं को गति प्रदान करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करना चाहिए। साथ ही सस्ती इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों का उपयोग कर सकें। उच्च गुणवत्ता वाली इंटरनेट अवसंरचना डिजिटल रोजगार, ऑनलाइन शिक्षा तथा डिजिटल उद्यमिता के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

10.3 सोशल मीडिया आधारित रोजगार का नियमन

सोशल मीडिया आधारित रोजगार और ऑनलाइन भर्ती प्रक्रियाओं के विस्तार के साथ अनेक नई चुनौतियाँ सामने आई हैं, जिनमें फर्जी नौकरी विज्ञापन, भ्रामक सूचनाएँ तथा श्रमिकों के शोषण की समस्याएँ प्रमुख हैं। वर्तमान में सोशल मीडिया आधारित रोजगार गतिविधियों के लिए कोई व्यापक और विशिष्ट नियामक ढाँचा उपलब्ध नहीं है।

इसलिए सरकार को ऑनलाइन रोजगार प्लेटफ़ॉर्मों और डिजिटल भर्ती एजेंसियों के लिए स्पष्ट नियामक दिशानिर्देश विकसित करने चाहिए। रोजगार संबंधी विज्ञापनों की सत्यता सुनिश्चित करने, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने तथा डिजिटल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। इससे युवाओं को सुरक्षित और विश्वसनीय रोजगार अवसर प्राप्त होंगे।

10.4 गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा

डिजिटल अर्थव्यवस्था में गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म आधारित रोजगार तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि यह रोजगार लचीलापन और अवसर प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी जुड़ा हुआ है। अधिकांश गिग श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, भविष्य

निधि तथा दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होतीं।

इस संदर्भ में सरकार को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए तथा गिग श्रमिकों के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ सुनिश्चित करनी चाहिए–

(क) स्वास्थ्य बीमा– सभी गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को सुलभ और व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

(ख) पेंशन सुविधा– दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

(ग) दुर्घटना बीमा– डिजिटल कार्यों से जुड़े श्रमिकों को दुर्घटना एवं आकस्मिक जोखिमों के विरुद्ध बीमा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।

(घ) न्यूनतम आय सुरक्षा– गिग श्रमिकों के लिए न्यूनतम आय अथवा न्यूनतम पारिश्रमिक के मानक निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि आर्थिक असुरक्षा को कम किया जा सके।

सामाजिक सुरक्षा का विस्तार डिजिटल श्रम बाजार को अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ बनाएगा।

10.5 साइबर सुरक्षा जागरूकता

सोशल मीडिया आधारित रोजगार प्रणाली में साइबर सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरी है। अध्ययन से ज्ञात हुआ कि अनेक युवा साइबर अपराधों, फिशिंग, डेटा चोरी तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार बन रहे हैं। इसका प्रमुख कारण साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता का अभाव है।

सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और नागरिक समाज संगठनों को मिलकर साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का नियमित आयोजन करना चाहिए। विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर साइबर सुरक्षा शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों को भी उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण एवं चेतावनी संदेश प्रदान करने चाहिए।

10.6 डिजिटल उद्यमिता को प्रोत्साहन

डिजिटल उद्यमिता युवाओं के लिए स्वरोजगार और नवाचार का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुकी है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सऐप बिज़नेस तथा ई–कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्मों ने छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर उत्पन्न किए हैं।

सरकार को डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता, स्टार्टअप अनुदान, कम ब्याज ऋण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने चाहिए। युवाओं को डिजिटल विपणन, ब्रांड निर्माण, ग्राहक प्रबंधन और ई–कॉमर्स संचालन से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही महिला उद्यमियों, ग्रामीण युवाओं तथा सामाजिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ विकसित की जानी चाहिए।

डिजिटल उद्यमिता को प्रोत्साहन न केवल रोजगार सृजन करेगा, बल्कि आर्थिक विकास और नवाचार को भी गति प्रदान करेगा।

10.7 डेटा संरक्षण का प्रभावी कार्यान्वयन

डिजिटल युग में व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया आधारित रोजगार गतिविधियों में युवाओं की व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक अभिलेख, वित्तीय विवरण तथा अन्य संवेदनशील सूचनाएँ डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर संग्रहीत रहती हैं। ऐसी स्थिति में डेटा के दुरुपयोग, अनधिकृत पहुँच और गोपनीयता उल्लंघन की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों का प्रभावी और कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। डेटा संग्रह और उपयोग की प्रक्रिया

को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए तथा उपयोगकर्ताओं की स्पष्ट सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए। सोशल मीडिया कंपनियों और रोजगार प्लेटफ़ॉर्मों को डेटा सुरक्षा के उच्च मानकों का पालन करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त डेटा उल्लंघन की स्थिति में त्वरित शिकायत निवारण तंत्र और प्रभावी दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाने चाहिए। इससे युवाओं का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों पर विश्वास बढ़ेगा और सुरक्षित डिजिटल रोजगार वातावरण का निर्माण होगा।

10.8 समग्र नीतिगत परिप्रेक्ष्य

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया आधारित रोजगार प्रणाली के सफल विकास के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट अवसंरचना, सामाजिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण तथा डिजिटल उद्यमिता को एकीकृत रूप से प्रोत्साहित करके ही युवाओं के लिए सुरक्षित, समावेशी और सतत रोजगार अवसर सुनिश्चित किए जा सकते हैं। सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और नागरिक समाज के समन्वित प्रयासों से सोशल मीडिया को युवा सशक्तिकरण और राष्ट्रीय आर्थिक विकास का प्रभावी साधन बनाया जा सकता है।

11. निष्कर्ष

वर्तमान वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में सोशल मीडिया ने मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक आयामों को गहराई से प्रभावित किया है। संचार और मनोरंजन के एक साधारण माध्यम के रूप में प्रारंभ हुए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आज रोजगार, उद्यमिता, कौशल विकास, ज्ञान अर्जन और आर्थिक सहभागिता के महत्वपूर्ण उपकरण बन चुके हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए सोशल मीडिया ने रोजगार प्राप्ति, स्वरोजगार, डिजिटल उद्यमिता तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं।

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया रोजगार के पारंपरिक स्वरूपों में व्यापक परिवर्तन लाने वाला एक प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। रोजगार सूचना के त्वरित प्रसार, पेशेवर नेटवर्किंग, ऑनलाइन प्रशिक्षण, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग तथा कंटेंट क्रिएशन जैसे क्षेत्रों ने युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए विकल्प विकसित किए हैं। लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा व्हाट्सऐप जैसे प्लेटफ़ॉर्म न केवल रोजगार खोजने के साधन बने हैं, बल्कि स्वयं रोजगार सृजन के मंच के रूप में भी स्थापित हुए हैं। इससे युवाओं को अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता तथा तकनीकी दक्षताओं को आर्थिक अवसरों में परिवर्तित करने की क्षमता प्राप्त हुई है।

अध्ययन यह भी दर्शाता है कि सोशल मीडिया ने सामाजिक पूंजी के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिजिटल नेटवर्किंग के माध्यम से युवा विभिन्न पेशेवर समुदायों, विशेषज्ञों, संस्थानों और संभावित नियोक्ताओं से जुड़कर अपने सामाजिक एवं व्यावसायिक संबंधों का विस्तार कर रहे हैं। इससे रोजगार अवसरों तक पहुँच आसान हुई है तथा भौगोलिक सीमाओं का महत्व अपेक्षाकृत कम हुआ है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए सोशल मीडिया ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुँच का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे डिजिटल समावेशन और आर्थिक सहभागिता को बढ़ावा मिला है।

हालाँकि, अध्ययन के निष्कर्ष यह भी संकेत करते हैं कि सोशल मीडिया आधारित रोजगार व्यवस्था अनेक चुनौतियों से भी घिरी हुई है। डिजिटल विभाजन, तकनीकी संसाधनों की असमान उपलब्धता, साइबर अपराध, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, फर्जी रोजगार

विज्ञापन तथा प्लेटफ़ॉर्म आधारित रोजगार की अस्थिरता जैसी समस्याएँ युवाओं के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ग्रामीण समुदायों तथा डिजिटल रूप से वंचित समूहों के लिए इन अवसरों तक समान पहुँच अभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकी है। यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को और अधिक बढ़ा सकती है।

सामाजिक–विधिक दृष्टिकोण से यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि डिजिटल रोजगार के विस्तार के साथ–साथ उपयुक्त कानूनी और नीतिगत ढाँचे का विकास अत्यंत आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 जैसे विधिक प्रावधान डिजिटल गतिविधियों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, किन्तु गिग अर्थव्यवस्था, प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के अधिकार, एल्गोरिथ्मिक पारदर्शिता तथा डिजिटल श्रम सुरक्षा जैसे उभरते हुए मुद्दों के समाधान के लिए और अधिक व्यापक एवं समकालीन विधिक सुधारों की आवश्यकता है। डिजिटल श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, डेटा संरक्षण तथा साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना समय की प्रमुख आवश्यकता बन चुकी है।

अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास सोशल मीडिया आधारित रोजगार के सफल उपयोग की आधारशिला हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा सरकारी योजनाओं में डिजिटल दक्षताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, स्किल इंडिया मिशन तथा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) जैसी पहलों ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, किन्तु इनके प्रभावी विस्तार और क्रियान्वयन की आवश्यकता बनी हुई है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया केवल तकनीकी नवाचार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक प्रगति और युवा सशक्तिकरण का एक प्रभावशाली माध्यम बन चुका है। यदि डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और विधिक संरक्षण को सुदृढ़ किया जाए तथा डिजिटल अवसरों की समान उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, तो सोशल मीडिया भारत के युवाओं के लिए सतत रोजगार, उद्यमिता और समावेशी विकास का एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार सोशल मीडिया न केवल रोजगार सृजन का माध्यम है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, आर्थिक आत्मनिर्भरता और राष्ट्र निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखता है।

महत्वपूर्ण सुझाव

1. युवाओं के लिए डिजिटल साक्षरता एवं तकनीकी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिए।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
3. सोशल मीडिया आधारित रोजगार प्लेटफ़ॉर्मों के लिए प्रभावी नियामक ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए।
4. गिग एवं प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और श्रम अधिकारों का संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
5. साइबर अपराधों से बचाव हेतु युवाओं में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।
6. डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
7. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम,

2023 का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

8. रोजगारोन्मुखी डिजिटल कौशलों को शिक्षा प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
9. महिलाओं और वंचित वर्गों की डिजिटल भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष योजनाएँ संचालित की जानी चाहिए।
10. सोशल मीडिया के जिम्मेदार एवं सुरक्षित उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु जन–जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए।
11. फर्जी ऑनलाइन नौकरी विज्ञापनों और डिजिटल धोखाधड़ी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।
12. युवाओं को स्वरोजगार एवं स्टार्टअप संस्कृति से जोड़ने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों का प्रभावी उपयोग बढ़ाया जाना चाहिए।

सन्दर्भ सूची

Agarwal, S., & Kumar, R. (2022). Social media and youth employability in India. *International Journal of Social Sciences*, *11*(2), 45–58.

Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *13*(1), 210–230.https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x

Castells, M. (2010). *The rise of the network society* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.

Ellison, N. B., Steinfield, C., & Lampe, C. (2007). The benefits of Facebook friends: Social capital and college students' use of online social network sites. *Journal of Computer-Mediated Communication*, *12*(4), 1143–1168. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00367.x

Government of India. (2000). *Information Technology Act, 2000*. Ministry of Law and Justice.

Government of India. (2020). *Code on Social Security, 2020*. Ministry of Labour and Employment.

Government of India. (2023). *Digital Personal Data Protection Act, 2023*. Ministry of Electronics and Information Technology.

International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook 2021: The role of digital labour platforms in transforming the world of work*. ILO.

International Labour Organization. (2023). *World employment and social outlook 2023*. ILO.

Joshi, M. (2024). Social media platforms and employment generation in India. *Economic and Political Weekly*, *59*(7), 25–31.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, *53*(1), 59–68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003

Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. *Business Horizons*, *54*(3), 241–251. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.01.005

Kumar, P., & Verma, S. (2022). Cybercrime awareness among youth in Digital India. *Indian Journal of Cyber Law*, *8*(1), 32–49.

Ministry of Electronics and Information Technology. (2024). *Digital India annual report 2023–24*. Government of India.

NITI Aayog. (2024). *India's digital economy report*. Government of India.

OECD. (2022). *OECD digital economy outlook 2022*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/b2f4aaf3-en

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Sharma, V., & Singh, A. (2023). Gig economy and labour rights in India: Emerging challenges and legal perspectives. *Indian Journal of Labour Economics*, *66*(4), 521–540.

Shirky, C. (2011). *Cognitive surplus: Creativity and generosity in a connected age*. Penguin Books.

Tapscott, D. (2009). *Grown up digital: How the net generation is changing your world*. McGraw-Hill.

UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Technology in education*. UNESCO Publishing.

United Nations Development Programme. (2023). *Human development report 2023–24*. UNDP.

Van Dijk, J. (2020). *The digital divide*. Polity Press.

World Bank. (2023). *World development report 2023: Data for better lives*. World Bank.

Bhatia, P. (2021). Digital entrepreneurship and youth empowerment in India. *Journal of Development Studies*, *15*(3), 89–102.

Ragnedda, M., & Muschert, G. W. (Eds.). (2018). *Theorizing digital divides*. Routledge.

Mehrotra, S., & Parida, J. K. (2019). Why is the labour force participation of women declining in India? *World Development*, *98*, 360–380.

Castells, M. (2012). *Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age*. Polity Press.

World Economic Forum. (2023). *The future of jobs report 2023*. World Economic Forum.

Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (2023). *Skill India annual report*. Government of India.

Common Service Centres e-Governance Services India Limited. (2023). *Annual report 2022–23*. Government of India.

****